



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272275
CG-DL-E-06052026-272275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2149]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2149]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2237(अ).— रेलवे अधिनियम – 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 2 के उपखंड (7-ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1	उप मंडल मजिस्ट्रेट, राजपुरा	पटियाला	पंजाब	"उत्तर रेलवे के न्यू शम्भू स्टेशन से कौली स्टेशन तक डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 हेतु राजपुरा बाईपास लाईन (13.46 कि.मी.)" के निर्माण हेतु।

[फा. सं. 190-W/Land/UMB/Rajpura Bypass Line]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2237(E).— In exercise of the power conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “**Competent Authority for Land Acquisition (CALA)**” in respect of Railway Project as mentioned in column (5) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the District mentioned in column (3) and the state mentioned in column (4) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Table

Sr. No.	Competent Authority	District	State	Name of project
1	2	3	4	5
1	Sub-Divisional Magistrate, Rajpura	Patiala	Punjab	Construction of “ Rajpura bypass line for DFCCIL from New Shambhu station to Kauli station (13.46 km) of Northern Railway ”.

[F. No. 190-W/Land/UMB/Rajpura Bypass Line]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2238(अ).— रेलवे अधिनियम – 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 20—एफ के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में “**आर्बीट्रेटर**” के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	आर्बीट्रेटर	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1	उप आयुक्त, पटियाला	पटियाला	पंजाब	“उत्तर रेलवे के न्यू शम्भू स्टेशन से कौली स्टेशन तक डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 हेतु राजपुरा बाईपास लाईन (13.46 कि.मी.)” के निर्माण हेतु।

[फा. सं. 190-W/Land/UMB/Rajpura Bypass Line]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2238(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the "**Arbitrator**" in respect of 'Railway Project' as mentioned in column (5) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the District mentioned in column (3) and the state mentioned in column (4) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Table

Sr. No.	Arbitrator	District	State	Name of project
1	2	3	4	5
1	Deputy Commissioner, Patiala	Patiala	Punjab	Construction of " Rajpura bypass line for DFCCIL from New Shambhu station to Kauli station (13.46 km) of Northern Railway ".

[F. No. 190-W/Land/UMB/Rajpura Bypass Line]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.